<u>न्यायालय :- श्रीमती मीना शाह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला</u> <u>जिला बैतूल</u>

<u>दांडिक प्रकरण कः – 235 / 13</u> संस्थापन दिनांक: – 19 / 07 / 13 फाईलिंग नं. 104 / 2013

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र आमला, जिला–बैतूल (म.प्र.)

..... <u>अभि</u>योजन

वि रू द्व

- 1. रामदास पिता मंगल किराड, उम्र 32 वर्ष
- 2. शिवचरण पिता मंगल किराड़, उम्र 40 वर्ष
- संजू उर्फ संजय पिता दयाल भोयर, उम्र 25 वर्ष सभी निवासी ग्राम अंधारिया, थाना आमला, जिला बैतुल (म.प्र.)

.....अभियुक्तगण

<u>-: (नि र्ण य) :-</u>

(आज दिनांक 25.07.2017 को घोषित)

- 1 प्रकरण में अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 294, 323/34, 506 भाग—दो भा0दं0सं0 के अंतर्गत इस आशय के आरोप है कि उन्होंने दिनांक 09. 06.2013 को रात 08:45 बजे ग्राम अंधारिया थाना आमला जिला बैतूल के अंतर्गत गोदे चौहान के घर के सामने सार्वजनिक स्थान या उसके समीप फरियादी को मां बहन के अश्लील शब्द उच्चारित कर उसे एवं दूसरों को क्षोभ कारित किया एवं सामान्य आशाय के अग्रसरण में फरियादी पिंटू उर्फ शिवप्रसाद को लकड़ी से मारपीट कर स्वेच्छया उपहित कारित की तथा फरियादी को प्रथम सूचना रिपोर्ट करने से विरत करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया।
- 2 अभियोजन का प्रकरण इस प्रकार है कि दिनांक 09.06.2013 को फरियादी रात करीब 08:45 बजे खेत से घर जा रहा था। तभी गोदे चौहान के घर के सामने उसे अभियुक्तगण मिले जिनसे उसने कहा कि मेरे परिवार को क्यों परेशान करते हो जिस पर अभियुक्त शिवचरण ने मां बहन की गाली देकर बोला कि मारो तो, तीनों अभियुक्तगण ने उसे लकड़ी से बांयी जांघ, बांये हाथ, पीठ पर मारा तथा रामदास ने लकड़ी सिर पर बांये तरफ मारा जिससे उसे चोटें आयी। अभियुक्तगण ने उसे मादरचोद की गाली देकर रिपोर्ट करने पर जान से मारने की धमकी दी। फरियादी की रिपोर्ट के आधार पर अभियुक्तगण के विरूद्ध थाना आमला में अपराध क. 125/13 पंजीबद्ध किया गया। विवेचना

के दौरान मौका नक्शा बनाया गया एवं साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये। फरियादी का चिकित्सकीय परीक्षण करवाया गया। अभियुक्तगण रामदास, शिवचरण, संजू उर्फ संजय से एक—एक बांस की लकड़ी जप्त कर जप्ती पत्रक बनाया गया। अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक बनाये गये। विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

3 अभियुक्तगण द्वारा निर्णय की कंडिका क्रं—1 में उल्लेखित अपराध किया जाना अस्वीकार कर विचारण चाहा गया तथा धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत किये गये अभियुक्त परीक्षण में उनका कहना है कि वे निर्दोष हैं और उन्हें झूठा फंसाया गया है।

4 न्यायालय के समक्ष निम्न विचारणीय प्रश्न यह है :--

- 1. क्या घटना के समय अभियुक्तगण ने फरियादी को अश्लील शब्द उच्चारित किये थे ?
- 2. क्या अश्लील शब्दों का उच्चारण लोक स्थान अथवा उसके समीप किया गया था ?
- 3. क्या इससे उसे एवं अन्य सुनने वालों को क्षोभ कारित हुआ था ?
- 4. क्या घटना के समय अभियुक्तगण ने फरियादी के साथ मारपीट करने का सामान्य आशय निर्मित किया ?
- 5. क्या घटना के समय अभियुक्तगण ने सामान्य आशय की पूर्ति में फरियादी पिंटू उर्फ शिवप्रसाद को लकड़ी से मारपीट कर स्वेच्छया उपहित कारित की ?
- 6. क्या अभियुक्तगण द्वारा ऐसा गंभीर व अचानक प्रकोपन से अन्यथा स्वेच्छया किया गया ?
- 7. क्या अभियुक्तगण ने फरियादी को प्रथम सूचना रिपोर्ट करने से विरत करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर उसे आपराधिक अभित्रास कारित किया था ?
- 8. निष्कर्ष एवं दंडादेश, यदि कोई हो तो ?

।। विश्लेषण एवं निष्कर्ष के आधार ।।

विचारणीय प्रश्न क. 01, 02, 03 एवं 07 का निराकरण

5 पिंटू उर्फ शिवप्रसाद (अ.सा.—1) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में यह प्रकट किया है कि घटना के समय अभियुक्त शिवचरण ने उसे कहा था कि बहन के लवड़े को मारो। इस संबंध में गुरूदयाल (अ.सा.—4) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में प्रकट किया है कि घटना के समय अभियुक्तगण फरियादी को गंदी गंदी गालियां दे रहे थे। इसके अतिरिक्त अन्य किसी अभियोजन साक्षी ने अभियुक्तगण द्वारा फरियादी को अश्लील शब्द उच्चारित कर क्षोभ कारित करने के संबंध में कोई कथन नहीं किये हैं।

व यद्यपि साक्षी पिंटू उर्फ शिवप्रसाद (अ.सा.—1) ने अपने न्यायालयीन कथनों में अभियुक्त शिवचरण द्वारा घटना के समय उसे बहन के लवड़े की गाली दी जाना बताया है। विधि में अश्लीलता की जो परिसंकल्पना धारा 294 द्वारा की गयी है उसका अभिप्राय ऐसे शब्दों से है जो शब्द सुनने वाले व्यक्ति के उपर प्रतिकूल प्रभाव डाले, उसे दूषित अवन्नति की ओर ले जायें, उसमें कामुक्ता यौन मनोव्यय को पैदा करे लेकिन फरियादी द्वारा बताये गये शब्द इस स्वरूप के नहीं हैं। इस संबंध में न्याय दृष्टांत सोबरन विरुद्ध म.प्र. राज्य 1967 जे.एल.जे. शार्ट नो. 135, विष्णु प्रसाद विरुद्ध म.प्र. राज्य 1971 जे.एल.जे. शार्ट नो. 148 अवलोकनीय है। इस प्रकार उपर्युक्त न्याय दृष्टात एवं उनमें प्रतिपादित सिद्धांत तथा साक्ष्य के विश्लेषण से यह तथ्य सिद्ध नहीं होता है कि अभियुक्तगण द्वारा दी गयी गालियों से किसी व्यक्ति को क्षोभ या संत्रास कारित हुआ हो।

7 अभियुक्तगण द्वारा घटना के समय फरियादी को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित करने के संबंध में साक्षी रामप्रसाद (अ.सा.—2) ने व्यक्त किया है कि घटना के समय अभियुक्त रामदास फरियादी से बोल रहा था कि दोबारा नहीं बचेगा तथा अभियुक्त ने उसे भी कहा था कि 10 टुकड़े कर दूंगा। साक्षी गुरूदयाल (अ.सा.—4) ने व्यक्त किया है कि घटना के समय अभियुक्तगण फरियादी को जान से मारने की धमकी दे रहे थे। यद्यपि साक्षी रामप्रसाद (अ.सा.—2) ने प्रकट किया है कि अभियुक्त रामदास ने कहा था कि दोबारा नहीं बचेगा और उसे भी 10 टुकड़े करने की धमकी दी थी तथा साक्षी गुरूदयाल (अ.सा.—4) ने घटना के समय अभियुक्तगण द्वारा फरियादी को जान से मारने की धमकी दिया जाना बताया है। अभियुक्तगण द्वारा उक्त धमकी दिये जाने के पश्चात ऐसा कोई आचरण किया जाना अभियोजन साक्ष्य से दर्शित नहीं हुआ जिससे यह परिलक्षित हो कि अभियुक्तगण का उनके द्वारा दी गयी धमकी को कियान्वित करने का आशय रहा हो। विवाद के समय दी गयी धौंस मात्र से अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा—506 भाग—2 भाठदं०सं० का आरोप प्रमाणित नहीं माना जा सकता।

विचारणीय प्रश्न क. 04, 05 एवं 06 का निराकरण

8 पिंटू उर्फ शिवप्रसाद (अ.सा.—1) ने मुख्य परीक्षण में यह बताया है कि उसे अभियुक्तगण ने लाठी से मारा था जिससे उसके सिर, दोनों हाथ एवं अन्य स्थान पर चोट आयी थी। रामप्रसाद (अ.सा.—2) ने भी साक्षी के कथनों का समर्थन करते हुए यह प्रकट किया है कि अभियुक्तगण ने लाठी से उसके भाई शिवप्रसाद की मारपीट की थी जिससे उसके सिर, हाथ, पैर में चोट आयी थी। गुरूदयाल (अ.सा.—4) ने यह बताया है कि उसे उसके लड़के ने बताया था कि अभियुक्तगण ने सिर और पीठ पर लाठी मारी थी।

- 9 डॉ. एन.के. रोहित (अ.सा.—6) ने दिनांक 10.06.2013 को सीएचसी आमला में बीएमओ के पद पर पदस्थ रहते हुए उक्त दिनांक को आहत पिंटू उर्फ शिवप्रसाद का परीक्षण किये जाने पर आहत के सिर के बांयी तरफ 2 गुणा 1 गुणा 1 सेमी. आकार का फटा हुआ घाव एवं दोनों जांघो पर 3 गुणा 2 सेमी. एवं 3 गुणा 1 सेमी. आकार के नील के निशान पाये थे। साक्षी ने आहत को आयी चोटें कड़े एवं बोथरे हथियार से पहुंचायी जाना प्रकट करते हुए एमएलसी रिपोर्ट प्रदर्श प्री—10 को प्रमाणित किया है।
- रहमत सिंह मर्सकोले (अ.सा.-7) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में दिनांक 10.06.2013 को थाना आमला में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ रहते हुए फरियदी पिंटू के द्वारा अभियुक्तगण के विरूद्ध लकड़ी से मारपीट कर गाली गलौच, जान से मारने की धमकी दिये जाने की रिपोर्ट लिखाये जाने पर अभियुक्तगण के विरूद्ध अपराध क. 125 / 13 में प्रदर्श पी-1 का प्रथम सूचना प्रतिवेदन लेखबद्ध किया जाना प्रकट करते हुए उसे प्रमाणित किया है। साक्षी ने यह भी व्यक्त किया है कि श्री टीआर धुर्व जी की वर्तमान में मृत्यु हो चुकी है। वह उनके साथ कार्यरत रहा है तथा उनकी हस्तलिपि एवं हस्ताक्षर से परिचित हूं। साक्षी ने प्रकट किया है कि प्रकरण की विवेचना टीआर धुर्वे के द्वारा की गयी थी। विवेचक टीआर धूर्वे के द्वारा दिनांक 11.06.2013 को घटना का नक्शा मौका (प्रदर्श पी-2) तैयार किया गया था एवं दिनांक 18.06.2013 को अभियुक्त रामदास, शिवचरण एवं संजू से बांस की लकड़ी जप्त कर प्रदर्श पी-4, प्रदर्श पी-5, प्रदर्श पी-6 के जप्ती पत्रक तैयार किये जाकर उक्त दिनांक को ही टीआर धुर्वे ने अभियुक्त रामदास, शिवचरण एवं संजू को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी-7, प्रदर्श पी-8 एवं प्रदर्श पी-9 तैयार किये थे। साक्षी ने उपर्युक्त दस्तावेजों पर टीआर धूर्वे के हस्ताक्षर होना प्रकट किया है।
- 11 बचाव अधिवक्ता का तर्क है कि प्रकरण में साक्षीगण के कथनों में पर्याप्त विरोधाभास है। स्वतंत्र साक्षी ने घटना का समर्थन नहीं किया है। उभयपक्ष के मध्य पूर्व से रंजिश है। अतः अभियोजन कथा में संदेह उत्पन्न होता है जिसका लाभ अभियुक्तगण को दिया जाना चाहिए।
- 12 बचाव अधिवक्ता के तर्कों के परिप्रेक्ष्य में स्वतंत्र साक्षी सुरेंद्र (अ. सा.—3) और सुभाष (अ.सा.—5) ने अभियोजन का किंचित मात्र समर्थन नहीं किया है। उपर्युक्त साक्षीगण से अभियोजन अधिकारी द्वारा प्रतिपरीक्षण में पूछे जाने वाले प्रश्न पूछे जाने पर भी साक्षीगण ने अभियोजन के समर्थन में कोई

तथ्य प्रकट नहीं किये हैं परंतु सामान्यतः ग्रामीण परिवेश में कोई भी व्यक्ति किसी के मामले में गवाही देने से बचता है। ऐसी स्थिति में साक्षीगण का अभियोजन कथा का समर्थन न किये जाने से संपूर्ण अभियोजन कथा को संदेहास्पद नहीं माना जा सकता।

13 पिंटू उर्फ शिवप्रसाद (अ.सा.—1) ने मुख्य परीक्षण में यह बताया है कि वह घटना के समय खेत से घर वापस आ रहा था। रास्ते में उसे अभियुक्तगण मिले और अभियुक्त शिवचरण ने उसे लाठी से मारना चालू कर दिया। इसके बाद अभियुक्त रामदास और संजू दौड़कर आये और फिर तीनों ने मिलकर उसके साथ मारपीट की जिससे उसके सिर, दोनों हाथ और शरीर के अन्य जगह पर चोटें आयी। रामप्रसाद (अ.सा.—2) ने यह बताया है कि जब उसका छोटा भाई शिवप्रसाद खेत से वापस आ रहा था तब अभियुक्तगण ने लाठी से उसके साथ मारपीट किये थे। उसने मारपीट करते देखा था। गुरूदयाल (अ.सा.—4) ने यह बताया है कि उसे गांव में किसी लड़के ने यह बताया था कि तुम्हारे बेटे पिंटू को अभियुक्तगण मार रहे हैं। वह मौके पर पहुंचा तो उसने देखा कि अभियुक्तगण ने उसके लड़के पिंटू के हाथ बांध दिये थे। उसके लड़के पिंटू ने यह भी बताया था कि अभियुक्तगण ने उसे लाठी से सिर और पीठ पर मारा था।

14 गुरूदयाल (अ.सा.—4) ने प्रतिपरीक्षण में यह बताया है कि घटना के समय वह घर पर था। उसके सामने कोई मारपीट लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ था। साक्षी ने यह भी सही होना बताया है कि वह गांव के लड़के संतोष के बताये अनुसार घटना होना बता रहा है। रामप्रसाद (अ.सा.—2) ने प्रतिपरीक्षण में यह बताया है कि घटना के समय वह मौके पर नहीं था। सूचना मिलने पर वह मौके पर पहुंचा। जब वह मौके पर पहुंचा तब उसका भाई पिंटू घटना स्थल पर बेहोश पड़ा था तथा वह उसे बेहोशी की हालत में ही मौके पर छोड़कर चला गया था और रिपोर्ट करने भी साथ में थाने नहीं गया था। साक्षी रामप्रसाद (अ. सा.—2) के कथनों पर विश्वास किया जाना सुरक्षित प्रतीत नहीं होता है क्योंकि यह अत्यन्त अस्वाभाविक है कि कोई अपने भाई को घायल अवस्था में देखे और उसे उसी अवस्था में छोड़कर वापस अपने घर वापस आ जाये। साक्षी गुरूदयाल (अ.सा.—4) अनुश्रुत साक्षी है। अतः इसके कथनों पर भी विश्वास किया जाना सुरक्षित प्रतीत नहीं होता है। फलतः अभियोजन को उपर्युक्त दोनों साक्षीगण के कथनों से कोई सहायता प्राप्त नहीं होती है।

15 अभिलेख पर मात्र फरियादी पिंटू उर्फ शिवप्रसाद (अ.सा.—1) की साक्ष्य है। मुख्य परीक्षण में साक्षी ने अभियुक्तगण के द्वारा लाठी से मारना बताया है। प्रतिपरीक्षण में साक्षी अभियुक्तगण द्वारा उसे लाठी से मारपीट किये जाने के तथ्य पर पूर्णतः स्थिर रहा है। साक्षी ने न्यायालय में अतिशयोक्तिपूर्ण

कथन किये हैं परंतु यह उल्लेखनीय है कि सामान्यतः कोई भी व्यक्ति कहानी को हमेशा बढ़ाचढ़ाकर ही बताता है। साथ ही किसी भी व्यक्ति से यह अपेक्षा नहीं की जा सकती कि वह घटना का सचित्र वर्णन बताये। स्पष्टतः साक्षी के कथनों में कुछ विरोधाभास भी है परंतु वह तात्विक न होकर सामान्य है जिससे कि साक्षी की विश्वसनीयता प्रभावित नहीं होती है।

वचाव अधिवक्ता का यह भी तर्क है कि उभयपक्ष के मध्य रंजिश है। तर्क के परिप्रेक्ष्य में फरियादी पिंटू उर्फ शिवप्रसाद (अ.सा.—1) ने यह बताया है कि उसने पूर्व में भी अभियुक्तगण के विरुद्ध खेत में आग लगा दिये जाने के संबंध में रिपोर्ट लेख करायी थी परंतु इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि रंजिश एक ऐसा तत्व है जो घटना का कारक भी हो सकता है और झूठा फंसाये जाने का आधार भी हो सकता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न्याय दृष्टांत Kailash Gour Vs. State of Assam (2012) 2 SCC 34 में यह प्रतिपादित किया गया है कि "Enmity being a double edged weapon, there could be motive on either side for commussion of offences as also for false implication" अर्थात रंजिश अपने आप में साक्षियों पर विश्वास न करने का कोई आधार नहीं होती है। फरियादी पिंटू उर्फ शिवप्रसाद अभियुक्तगण द्वारा मारपीट के कथनों पर पूर्णतः स्थिर है। जहां मारपीट के संबंध में प्रत्यक्ष साक्ष्य उपलब्ध हो वहां रंजिश से बचाव पक्ष को कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है। अतः बचाव अधिवक्ता का तर्क अमान्य किया जाता है।

17 अभियोजन कथा अनुसार घटना दिनांक 09.06.2013 की रात्रि लगभग 9 बजे की है। घटना की रिपोर्ट घटना के दूसरे दिन प्रातः 11 बजे लेख करा दी गयी है। फरियादी पिंटू उर्फ शिवप्रसाद की साक्ष्य प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं चिकित्सकीय साक्ष्य से भी समर्थित है। बिना विंलब फरियादी के द्वारा घटना की रिपोर्ट लेख कराये जाने से अभियुक्तगण को मिथ्या आलिप्त कराये जाने की संभावना भी परिलक्षित नहीं होती है।

18 अभियुक्तगण द्वारा एकराय होकर फरियादी की लाठी से मारपीट करना, उनके सामान्य आशय को एवं स्वेच्छया आचरण को दर्शित करता है। ऐसा कोई तथ्य भी अभिलेख पर नहीं है कि अभियुक्तगण को प्रकोपन दिया गया हो। फलतः यह प्रमाणित पाया जाता है कि अभियुक्तगण ने फरियादी की मारपीट करने का सामान्य आशय निर्मित किया तथा उसके अग्रशरण में फरियादी को लाठी से मारपीट कर उसे स्वेच्छया उपहति कारित की।

विचारणीय प्रश्न क. 08 का निराकरण

संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्तगण ने घटना दिनांक, समय व स्थान पर फरियादी को मां बहन के अश्लील शब्द उच्चारित कर उसे एवं दूसरों को क्षोभ कारित किया एवं फरियादी को प्रथम सूचना रिपोर्ट करने से विरत करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया किंतु अभियोजन यह प्रमाणित करने में सफल रहा है कि अभियुक्तगण ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर सामान्य आशाय के अग्रसरण में फरियादी पिंटू उर्फ शिवप्रसाद को लकड़ी से मारपीट कर स्वेच्छया उपहित कारित की। फलतः अभियुक्तगण रामदास, शिवचरण एवं संजू उर्फ संजय को भारतीय दंड संहिता की धारा 294, 506 भाग—दो के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है तथा धारा 323/34 भा.दं.सं. के आरोप में दोषी पाया जाता है।

20 अभियुक्तगण की ओर से पूर्व में प्रस्तुत जमानत मुचलके निरस्त किये जाते हैं।

नोटः— दण्ड के प्रश्न पर सुनने के लिए निर्णय थोड़ी देर के लिए स्थिगित किया जाता है।

(श्रीमती मीना शाह) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी आमला, बैतूल (म.प्र.)

पुनश्च :-

- 21 दण्ड के प्रश्न पर अभियुक्तगण के बचाव अधिवक्ता एवं विद्वान ए 0डी0पी0ओ0 के तर्क श्रवण किए गए। बचाव अधिवक्ता का यह कहना है कि यह अभियुक्तगण का प्रथम अपराध है तथा तीनों अभियुक्तगण आपस में रिश्तेदार हैं। अतः उन्हें परिवीक्षा विधि का लाभ प्रदान किया जाए अथवा कम से कम दंड से दंडित किया जाये। जबकि विद्वान ए.डी.पी.ओ. का कहना है कि अभियुक्तगण के विरुद्ध सामान्य आशय के अग्रशरण में मारपीट करने का मामला प्रमाणित हुआ है। अतः उन्हें अधिकतम कठोर कारावास से दण्डित किये जाने का तर्क प्रस्तुत किया गया।
- 22 उभयपक्ष के तर्क को विचार में लिया गया। अभियुक्तगण द्वारा फरियादी को मारपीट किये जाने का सामान्य आशय निर्मित कर सामान्य आशय के अग्रशरण में फरियादी के साथ लकड़ी से मारपीट कर उसे उपहित कारित करने का अपराध कारित किया गया है। अपराध कारित करते समय अभियुक्तगण अपने कृत्य की प्रकृति व उसके संभावित परिणाम को समझने में भली—भांति सक्षम थे, अतः उन्हें परिवीक्षा विधि का लाभ दिया जाना न्याय—संगत नहीं है।

23 अभियुक्तगण के विरुद्ध पूर्व की कोई दोषसिद्धी भी अभिलेख पर नहीं है। हस्तगत प्रकरण में अभियुक्तगण एवं फरियादी एक ही ग्राम के निवासी हैं तथा अभियुक्तगण लगभग चार वर्षों से निरंतर विचारण का सामना कर रहे है। आहत को आयी चोटें साधारण प्रकृति की हैं। अतः अपराध की प्रकृति एवं मामले की सम्पूर्ण परिस्थितियों पर विचारोपरांत अभियुक्तगण को केवल न्यायालय उठने तक के कारावास एवं अर्थदंड से दंडित किए जाने में न्याय के उद्देश्य की पूर्ति हो सकती है। अतः अभियुक्तगण को धारा 323/34 भा.दं.सं. के अंतर्गत दंडनीय अपराध के लिये न्यायालय उठने तक के कारावास एवं 800/—800/— रूपये कुल 2,400/— रूपये के अर्थदंड से दंडित किया जाता है। अर्थदण्ड अदायगी में व्यतिकम में किया जाता है तो उन्हें 15—15 दिवस का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगताया जावे।

24 धारा 357(1) दं.प्रं.सं. के अंतर्गत अर्थदंड की राशि में से 2,000 / — रूपये आहत पिंटू उर्फ शिवप्रसाद निवासी ग्राम अंधारिया, थाना आमला जिला बैतूल को प्रतिकर स्वरूप अपील अविध पश्चात प्रदान किये जावे। अपील होने के दशा में अपीलीय न्यायालय के निर्देशानुसार कार्यवाही की जावे।

25 प्रकरण में जप्त तीन बांस की लकड़ी अपील अवधि पश्चात् अपील न होने पर विधिवत नष्ट की जावे, अपील होने की दशा में जप्त सुदा सम्पत्ति का निराकरण माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार किया जाए।

26 अभियुक्तगण द्वारा अन्वेषण एवं विचारण के दौरान अभिरक्षा में बिताई गई अवधि के संबंध में धारा 428 द.प्र.स. के अंतर्गत प्रमाण पत्र बनाया जावे।

27 दं0प्र0सं0 की धारा 363(1) के अंतर्गत अभियुक्तगण को निर्णय की एक प्रतिलिपि निःशुल्क प्रदान की जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित तथा दिनांकित कर घोषित ।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(श्रीमती मीना शाह) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी आमला, बैतूल (म.प्र.)

(श्रीमती मीना शाह) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी आमला, बैतूल (म.प्र.)